

अध्याय-3

निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रिया का पालन किया जाता है

{धारा 4 (1) (बी) (iii)}

लोक प्राधिकरण (उपायुक्त अधिकारी) द्वारा निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करें :-

गतिविधि	विवरण	निर्णय लेने की प्रक्रिया	अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का पदनाम
वित्त / कागज / मुद्रण / वितरण / प्रशासन	समस्त कार्य	आवश्यकतानुसार शासक मण्डल द्वारा	शासक मण्डल / प्रबंध संचालक